राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य),कृषि ग्राह्य परीक्षण केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर।

दूरभाष एंव फेक्स न. 01452440652 Email: ddagatcajmer@ gmail.com

क्रमांकः– शस्य / 2018–19 / 734 दिनांक :–26–07–2018

खुली निविदा विज्ञप्ति स.01 / 2018–19

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के राजकीय फार्म पर खरीफ 2018 एवं रबी 2018–19 के समस्त कृषि एवं अन्य कार्यो को आगामी निविदा होने तक /एक वर्ष के लिए अनुबन्ध प्रणाली से पूर्ण करवाये जाने हेतु एतद् द्वारा खुली निविदा बन्द लिफाफे में दिनांक 14.08.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक व्यक्तिगत /डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है । जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 694546/– है।

अतः इच्छुक व्यक्ति/ फर्म निविदा प्रपत्र मय शर्तो के कार्यालय समय में 200/– रूपये नकद जमा करवाकर दिनांक 14..08.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त कर सकेगें । प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर 2.00 बजे कमेटी सदस्यों द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा । निविदा सम्बन्धित शर्तें किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में आकर देखी जा सकती है एंव विभागीय वेबसाईट **agriculturerajasthan.gov.in** एंव **sppp portal** पर भी देखी जा सकती है।

क. स.	UBN no.	कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय राशि	निविदा शुल्क	धरोहर राशि
		कृषि एंव कृषि संबंधित अन्य कार्य	6,94,546	200	14000

(ओ.पी.शर्मा)
उप निदेशक कृषि (शस्य)
तबीजी फार्म, अजमेर।

[Type text]

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य),कृषि ग्प्रह्य परीक्षण केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर।

दूरभाष एंव फेक्स न. 01452440652 Email: ddagatcajmer@ gmail.com

निविदा प्रपत्र

कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य), तबीजी फार्म, अजमेर में खरीफ–2018 एवं रबी 2018–19 मे कराये जाने वाले विभिन्न कृषि कार्यो को अनुबन्ध पर कराये जाने हेतु निविदा प्रपत्र

क्र. सं.	विवरण	निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली सूचना का विवरण
1	फार्म संख्या	
2	निविदादाता का नाम व पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय ईमेल आईडी	
3	पेन न.	
4	आधार न.	
	दूरभाष संख्या एवं मो. न.	
4	कार्य का नाम	कृषि एवं कृषि संबधित अन्य कार्य
5	निविदा फार्म की कीमत	रूपये 200/–
6	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय	कार्य दिवस सुबह 10.00 से सांय 5.00 बजे तक एंव दिनांक 14.08.2018 को प्रातः 11 बजे तक
7	निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	14.08.2018 प्रातः 12 बजे तक
8	निविदा शुल्क का विवरण	रसीद सं......................दिनांक........................ राशि रु..............
9	अमानत राशि का विवरण	राशि रु 14,000/–
10	निविदा खोलने की तिथि	14.08..2018 अपरान्ह 2.00 बजे
11	निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य) ए.टी. सी.,तबीजी, अजमेर।

8–निविदा को पूर्ण/आंशिक रुप से स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार कार्यालयाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा जो निविदादाता को मान्य है।

9–मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये सभी(क्र.सं. 1से 33) नियम व शर्तो का पूरी तरह अध्ययन कर लिया गया है एवं मेरे को मान्य है, के उपरान्त मेरे स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये है।

साक्षी गवाह के हस्ताक्षर मय पता :–

1 ....

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण पता व दूरभाष सं.

2 ....

[Type text]

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य),कृषि ग्रह्य परीक्षण केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर।

दूरभाष एंव फेक्स न. 01452440652 Email: ddagatcajmer@ gmail.com

खरीफ–2018 एवं रबी 2018–19 मे ग्राह्य परीक्षण, बीज उत्पादन एवं अन्य संबंधित कृषि कार्य अनुबन्ध पर श्रमिको के माध्यम से कराये जाने के नियम व शर्ते

1. स्वीकृत निविदादाता व विभाग के बीच कोई मास्टर सर्वेन्ट रिलेशन नहीं होगा।
2. स्वीकृत निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिको का किसी भी प्रकार का रिकार्ड कार्यालय में नहीं रखा जावेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।
3. स्वीकृत निविदादाता द्वारा लगाये गये किसी भी श्रमिक को कार्य संबंधी प्रमाण पत्र विभाग/कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
4. स्वीकृत निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिको का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण स्वयं निविदादाता का होगा।
5. केवल वे ही निविदादाता जो कि सार्वजनिक. निर्माण विभाग/श्रम विभाग /सहकारी समिति अथवा अन्य किसी राजकीय कार्यालय से पंजीकृत हो ही निविदा फार्म भर सकता है। इसके लिए निविदा पत्र के साथ स्वसत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
6. कार्यालय में आकर निविदा जमा कराने से पूर्व बी एस आर की दरें देखी जा सकती है ।
7. कार्य सम्पादन का भुगतान सीधे स्वीकृत (सफल) निविदादाता को किया जावेगा। स्वीकृत (सफल) निविदादाता द्वारा नियुक्त श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान स्वयं स्वीकृत (सफल) निविदादाता द्वारा समय पर किया जावेगा। कार्यालय द्वारा किसी भी श्रमिक को सीधे तौर पर भुगतान देय नहीं होगा।
8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एंव ईएसआइ की राशि जमा करवाने का दायित्व स्वीकृत(सफल) निविदादाता का होगा (लागू होने पर)।
9. भुगतान बजट की उपलब्धता एवं बिल प्रस्तुत करने के उपरान्त कोषालय से पारित होने पर ही किया जावेगा ।
10. फसलो के विभिन्न कार्य बी.एस.आर. में उल्लेखित विवरणानुसार करवाए जाने है फिर भी किसी फसल में कौनसा कार्य व कितना कार्य करवाया जाना है, यह अधिकार पूर्ण रुप से अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।जी शिड्यूल(कार्य विवरण)में दर्शाये गये कार्य/ फसल की मात्रा अनुमानित है। जिसमें कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार फेरबदल किया जा सकता है,जो स्वीकृत (सफल) निविदा दाता को मान्य होगा।
11. स्वीकृत (सफल) निविदादाता द्वारा कोई कार्य न करने की स्थिति में उक्त कार्य कार्यालय द्वारा अपने स्तर से करवाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन स्वीकृत (सफल) निविदादाता से वसूल योग्य होगा जिसकी कटौति प्रस्तुत सामयिक बिल से की जावेगी जो कि स्वीकृत निविदादाता को मान्य होगी।
12. स्वीकृत (सफल) निविदादाता को कानूनी प्रावधानो की पालना करनी होगी।
13. कृषि कार्यो में प्रयुक्त होने वाले औजार जैसे फावडा, खोड़ी, दरांती आदि कार्यालय फार्म पर उपलब्ध होने पर दिए जा सकते है लेकिन ये औजार उपलब्ध करवाना विभाग की जिम्मेदारी नही होगी।
14. निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि रूपये 14000/– जमा कराई जावेगी जिसका समायोजन निविदा सफल रहने पर सिक्योरिटी की राशि मे कर लिया जावेगा। सफल निविदादाता को राशि रूपये 35000/– सिक्योरिटी के रूप में नकद या राजकीय शर्तानुसार जमा करवाई जानी आवश्यक हैं। जमा राशि पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
15. स्वीकृत (सफल) निविदादाता या उसके श्रमिकों द्वारा अवांछित कृत्य/क्षति करने की स्थिति में स्वीकृत (सफल) निविदादाता पूर्ण रुप से जिम्मेदार होगा एवं क्षति की वसूली स्वीकृत निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बिल की राशि से कमेटी सदस्यो द्वारा दी गई सिफारिशानुसार कर ली जायेगी।

16. कार्य सन्तोषप्रद तरीके से पूर्ण नही करने पर बिलों की राशि से 10 प्रतिशत कटौति कर ली जावेगी अथवा अनुबन्ध को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही करते हुए सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी जो कि स्वीकृत (सफल) निविदादाता को मंजूर होगी।
17. विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय स्वीकृत (सफल) निविदादाता को अन्तिम रुप से मान्य होगा।
18. फार्म पर कार्य करते समय यदि किसी मजदूर को शारीरिक व अन्य कोई क्षति होती है तो उसके लिये स्वीकृत निविदादाता पूर्ण रुप से स्वंय जिम्मेदार होगा एवं विभाग / कार्यालय की किसी प्रकार की राहत राशि के भुगतान की जिम्मेदारी नही होगी।
19. राजकीय नियमानुसार जो कटौतियां लागू होती है उनकी वसूली बिल में से कर ली जावेगी जो कि स्वीकृत (सफल) निविदादाता को अन्तिम रुप से मान्य होगा।
20. स्वीकृत निविदा राशि के अतिरिक्त कार्यालय द्वारा किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान देय नहीं होगा सरकार द्वारा लागू समस्त करों की जिम्मेदारी स्वीकृत (सफल) निविदादाता की होगी। अतः निविदा प्रस्तूत करते समय समस्त करों को ध्यान में रखते हुए दरें प्रस्तुत करें।
21. निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा एवं लिया गया निर्णय समस्त निविदादाताओ को स्वीकार एवं मान्य होगा।
22. निविदा के सभी कार्य कार्यालय के प्रतिनिधि के निर्देशानुसार समय पर सम्पादित करवाने होगे।
23. स्वीकृत निविदादाता किसी अन्य निविदादाता / व्यक्ति को अनुबन्ध हस्तान्तरित नही करेगा।
24. अनुबन्ध की समयावधि के दौरान कार्य दिवस में दिन के समय (सुबह 8.0बजे से सांय 5.0बजे) में फार्म पर फसलों व सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वीकृत निविदादाता की होगी। इसके लिए अतिरिक्त चौकीदारी का भुगतान देय नहीं होगा।
25. स्वीकृत निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए गये फार्म /कार्यालय चौकीदार के पास मोबाईल होना अनिवार्य होगा।
26. कार्य अनुसार अधिक संख्या मे श्रमिको की मांग होने पर एक दिन पूर्व सूचित करने के उपरान्त निर्धारित मांग अनुसार स्वीकृत निविदादाता द्वारा श्रमिक उपलब्ध कराने होगें जिसके लिए प्रत्येक कार्य दिवस को ठेकेदार द्वारा श्रमिक मांग पंजिका से नोट करना आवश्यक होगा।
27. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा शर्तो का अनुबन्ध पत्र भरकर सात दिवस में आवश्यक तौर पर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि मे अनुबन्ध प्रपत्र प्रस्तुत नही करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
28. सशर्त निविदा मान्य एवं स्वीकृति योग्य नहीं होगी।
29. प्रस्तावित दर ठेका अवधि खरीफ 2018 एवं रबी 2018–19 (आगामी निविदा होने तक /एक वर्ष के लिए) के लिए मान्य होगी। कार्यावधि के दौरान किसी भी परिस्थिति मे स्वीकृत कार्य दर राशि में वृद्दि नहीं की जावेगी
30. स्वीकृत निविदादाता द्वारा अनुबन्ध के तहत समय–2 पर मॉग अनुसार ट्रेक्टर ड्राइवर उपलब्ध कराना होगा। कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये गये ट्रेक्टर ड्राइवर के लाईसेंस की छाया प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत करनी होगी।
31. ट्रेक्टर ड्राइवर द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान घटित दुर्घटना के लिये स्वीकृत निविदादाता पूर्ण रुप से जिम्मेदार होगा।
32. ट्रेक्टर ड्राइवर द्वारा लापरवाही बरतने पर हुये किसी भी प्रकार की क्षति की राशि स्वीकृत निविदादाता से कमेटी सदस्यो द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर वसूल की जावेगी एवं वसूल योग्य राशि स्वीकृत निविदादाता को मान्य एवं मंजूर होगी।
33. किसी भी वाद–विवाद पर न्यायायिक क्षेत्र अजमेर/नसीराबाद होगा।

मेरे द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो एवं नियमो को पूर्ण होश हवास मे पढ लिया है। मै जिनकी पूर्ण पालना की सहमति एवं मंजूरी मेरे स्वयं के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

उपनिदेशक कृषि(शष्य)
कृषि ग्राह्य परीक्षण केन्द्र तबीजी फार्म, अजमेर

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय पूरा पता व दूरभाष सं.

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य),कृषि ग्रह्य परीक्षण केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर।

दूरभाष एंव फेक्स न. 01452440652 Email: ddagatcajmer@ gmail.com

जी शिडयूल (कार्यो का विवरण)

उप निदेशक कृषि
ग्रहय परीक्षण केन्द्र, तबीजी, अजमेर

श्रीमान,

आपके कार्यालय द्वारा प्रसारित निविदा सूचना कमांक............................... दिनांक .... के सन्दर्भ में, मैं श्री ....पुत्र श्री .... निवासी.. .... कार्यालय उप निदेशक कृषि (शस्य), ग्रहय परीक्षण केन्द्र, तबीजी अजमेर के फार्म पर प्रायोगिक परीक्षणो, बीज उत्पादन एवं जैविक खेती में खरीफ– 2018 व रबी 2018–19 के समस्त कृषि कार्यो एवं अन्य कार्यो की खुली निविदा की कार्यवाही सम्पन्न होने से आगामी निविदा होने तक /एक वर्ष के लिए अनुबन्ध प्रणाली से सम्पन्न करने हेतु जी शिडयूल (कार्यो का विवरण) में राशि भर कर दिनांक .... को आपके कार्यालय में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

क स.	फसल का नाम व कार्यो का विवरण	अनुमोदित कार्यालय अनुमान / बी.एस.आर के व्यय अनुसार अनुमानित व्यय राशि रु. मे (उक्त गणना राशि रूपये 221 प्रति श्रमिक दिवस से की गई है)
अ. खरीफ –2018		
1	परीक्षण कार्यक्रम (1.4 है.) हेतु राशि	रु. 64044
2	जैविक खेती कार्यक्रम (दलहनी फसल 2.0 है.) हेतु राशि	रु. 47216
	खरीफ योग(अ)	रु. 111260
ब. रबी 2018 –19		
1	परीक्षण कार्यक्रम (1.60 है.) हेतु राशि	रु. 62906
2	बीज उत्पादन कार्यक्रम (जौ 2.0 है.) हेतु राशि	रु. 41310
3	जैविक खेती कार्यक्रम (जौ 2.0 है, मेथी फसल 3.0 है.) हेतु राशि	रु. 129390
	रबी योग (ब)	रु. 233606
स. अन्य विविध कार्य 2018–19		
1.	सविदा पर ट्रेक्टर संचालन (लाइसेंसशुदा ट्रेक्टर ड्राइवर) हेतु राशि	रु. 15000

[Type text]

2.	अन्य विविध तथा फार्म प्रबन्धन कार्य यथा आई पी एम प्रयोगशाला में बायोजेन्टस् उत्पादन व सम्बन्धित कार्य,औचार्ड से सम्बन्धित कार्य, केंचुआ संवर्धन , जैविक आदान उत्पादन एवं कम्पोस्टिंग से सम्बन्धित कार्य, ड्रिप संचालन फार्म पर फसलों की पक्षियों से रखवाली , फसल परीक्षणों में हाथ के हल से बुवाई,एटीसी परिसर की साफ सफाई , फार्म पर फसलों एवं केन्द्र की समस्त राजकीय सम्पति की दिन रात लगातार सुरक्षा एवं कार्यालय सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य हेतु राशि एटीसी परिसर मय आई पी एम प्रयोगशाला में नित्य झाड़ू लगाना आदि कार्य	रू. 334680
	अन्य विविध कार्य **योग (स)**	रू. 349680 / –
	महायोग(अ+ब+स)	रू. **6,94,546** / –

नोटः– कपास की चुगाई की दर प्रति किलो कपास रुपये ....। कपास की चुगाई की दर हैक्टर एवं दर प्रति किलो कपास में से जो भी कम हो देय होगी।

मै उपरोक्त वर्णित पृष्ठ संख्या 1 से 2 तक के सभी कार्य कार्यालय नियम व शर्तो के साथ कार्यालय द्वारा दी गई राशि रूपये 6,94,546 / – के एवज मे, मैं उक्त समस्त वर्णित कार्य राशि रूपये .... शब्दो में ....में करने की अपनी सहमति देता हूँ।

दिनाकः–
स्थान :–

हस्ताक्षर निविदांदाता

नाम मय पूर्ण पता व दूरभाष / मोबाइल संख्या

[Type text]